

रेरा पंजीकरण संख्या

UPRERAPRJ332582

Website :- www.up-rera.in/projects



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की

“गतिशक्ति नगर योजना” में व्यवसायिक भूखण्ड, दुकान भूखण्ड, गोदाम/ट्रान्सपोर्ट एजेंसी, हेल्थ सेन्टर/मेडिकल फैसिलिटी, सर्विस गैराज/मोटर गैराज, शोरूम भूखण्ड, ऑफिस/बैंक एवं ट्रान्सपोर्ट एजेंसी भूखण्डों को **ई-नीलामी** के माध्यम से प्राप्त करने का

"स्वर्णिम अवसर" विवरणिका

मूल्य रु0 1500 / – (Non Refundable)
(जी0एस0टी0 सहित)



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

“गतिशक्ति नगर योजना” के मुख्य आकर्षण एवं विशेषताएं :-

- शहर के मुख्य मार्ग मुरादाबाद-चन्दौसी रोड़ पर स्थित है।
- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना पूर्व से विकसित है।
- स्थल पर विकास कार्य त्वरित गति से गतिमान है।
- समस्त मूलभूत सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
 - ❖ चौड़ी सड़क
 - ❖ पथ-प्रकाश
 - ❖ ड्रेनेज सिस्टम



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

रिक्त सम्पत्ति संख्या, क्षेत्रफल, आरक्षित मूल्य, सम्पत्ति की अनुमानित कीमत एवं पंजीकरण धनराशि का विवरण :-

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि:- 19.05.2025 (प्रातः 10:00 बजे से), समाप्ति तिथि:- 02.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे तक) ई-नीलामी तिथि:- 05.06.2025, समय-प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक							
क्र० स०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित भूखण्ड क्षेत्रफल (व०मी०)	भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की स्थिति	आरक्षित दर (रु०)	सम्पत्ति की अनुमानित कीमत (रु०)	पंजीकरण धनराशि (कुल कीमत का 10%) (रु०)
1	Shops	30	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
2	Shops	31	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
3	Shops	35	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
4	Shops	36	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
5	Commercial Plots	44	450	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	27135000.00	2713500.00
6	Godown / Transport Agency	62	878.96	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	53001288.00	5300128.80
7	Transport Agency	88	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
8	Transport Agency	89	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
9	Transport Agency	90	189.75	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	11441925.00	1144192.50
10	Transport Agency	91	198.93	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	11995479.00	1199547.90
11	Transport Agency	92	208.06	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	12546018.00	1254601.80
12	Transport Agency	93	217.7	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13127310.00	1312731.00
13	Transport Agency	94	226.53	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13659759.00	1365975.90
14	Transport Agency	98	288	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	17366400.00	1736640.00
15	Transport Agency	99	288	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	17366400.00	1736640.00
16	Transport Agency	100	288	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	17366400.00	1736640.00
17	Transport Agency	101	288	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	17366400.00	1736640.00
18	Transport Agency	102	288	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	17366400.00	1736640.00



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि:- 20.05.2025 (प्रातः 10:00 बजे से),

समाप्ति तिथि:- 03.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)

ई-नीलामी तिथि:- 06.06.2025, समय-प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

क्र० स०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित भूखण्ड क्षेत्रफल (व०मी०)	भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की स्थिति	आरक्षित दर (रु०)	सम्पत्ति की अनुमानित कीमत (रु०)	पंजीकरण धनराशि (कुल कीमत का 10%) (रु०)
1	Shops	3	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
2	Shops	4	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
3	Shops	5	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
4	Shops	6	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
5	Shops	7	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
6	Shops	8	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
7	Commercial Plots	41	634.37	18.00 / 18.00 मी० चौड़ी सड़क	66330.00	42077762.00	4207776.00
8	Commercial Plots	42	634.37	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	38252511.00	3825251.00
9	Commercial Plots	47	336.8	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	20309040.00	2030904.00
10	Godown / Transport Agency	48	887.13	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	53493939.00	5349394.00
11	Transport Agency	57	300	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	18090000.00	1809000.00
12	Transport Agency	58	300	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	18090000.00	1809000.00
13	Godown / Transport Agency	63	878.96	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	53001288.00	5300128.80
14	Transport Agency	64	279.18	18.00 / 18.00 मी० चौड़ी सड़क	66330.00	18518009.00	1851801.00
15	Transport Agency	66	225	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13567500.00	1356750.00
16	Transport Agency	67	306.48	18.00 / 18.00 मी० चौड़ी सड़क	66330.00	20328818.00	2032882.00
17	Transport Agency	68	306.48	18.00 / 18.00 मी० चौड़ी सड़क	66330.00	20328818.00	2032882.00
18	Transport Agency	69	225	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13567500.00	1356750.00
19	Transport Agency	70	225	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13567500.00	1356750.00



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि:- 21.05.2025 (प्रातः 10:00 बजे से),

समाप्ति तिथि:- 04.06.2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)

ई-नीलामी तिथि:- 09.06.2025, समय-प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

क्र० स०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित भूखण्ड क्षेत्रफल (व०मी०)	भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की स्थिति	आरक्षित दर (रु०)	सम्पत्ति की अनुमानित कीमत (रु०)	पंजीकरण धनराशि (कुल कीमत का 10%) (रु०)
1	Shops	16	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
2	Shops	25	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
3	Shops	32	50	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	3015000.00	301500.00
4	Commercial Plots	45	450	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	27135000.00	2713500.00
5	Commercial Plots	43	450	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	27135000.00	2713500.00
6	Godown / Transport Agency	59	873.59	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	52677477.00	5267748.00
7	Godown / Transport Agency	60	878.96	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	53001288.00	5300129.00
8	Godown / Transport Agency	61	878.96	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	53001288.00	5300129.00
9	Transport Agency	75	300	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	18090000.00	1809000.00
10	Transport Agency	76	300	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	18090000.00	1809000.00
11	Transport Agency	77	395.97	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	23876991.00	2387699.00
12	Transport Agency	78	524.98	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	31656294.00	3165629.00
13	Transport Agency	79	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
14	Transport Agency	80	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
15	Transport Agency	81	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
16	Transport Agency	82	330	18.00 / 12.00 मी० चौड़ी सड़क	66330.00	21888900.00	2188890.00
17	Transport Agency	85	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
18	Transport Agency	86	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
19	Transport Agency	87	264	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	15919200.00	1591920.00
20	Transport Agency	65	225	18.00 मी० चौड़ी सड़क	60300.00	13567500.00	1356750.00



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

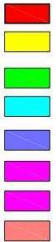
“गतिशक्ति नगर योजना” के भूखण्डों का ले-आउट

प्रस्तावित भूखंड क्षेत्र का विवरण

नियोजित क्षेत्रफल	=	43490.53 वर्ग मी०
निर्मित सड़क क्षेत्रफल	=	9019.44 वर्ग मी०
प्रस्तावित सड़क क्षेत्रफल	=	4607.63 वर्ग मी०
कुल भूखंडों का क्षेत्रफल	=	29863.46 वर्ग मी०

भूखंडों का विवरण

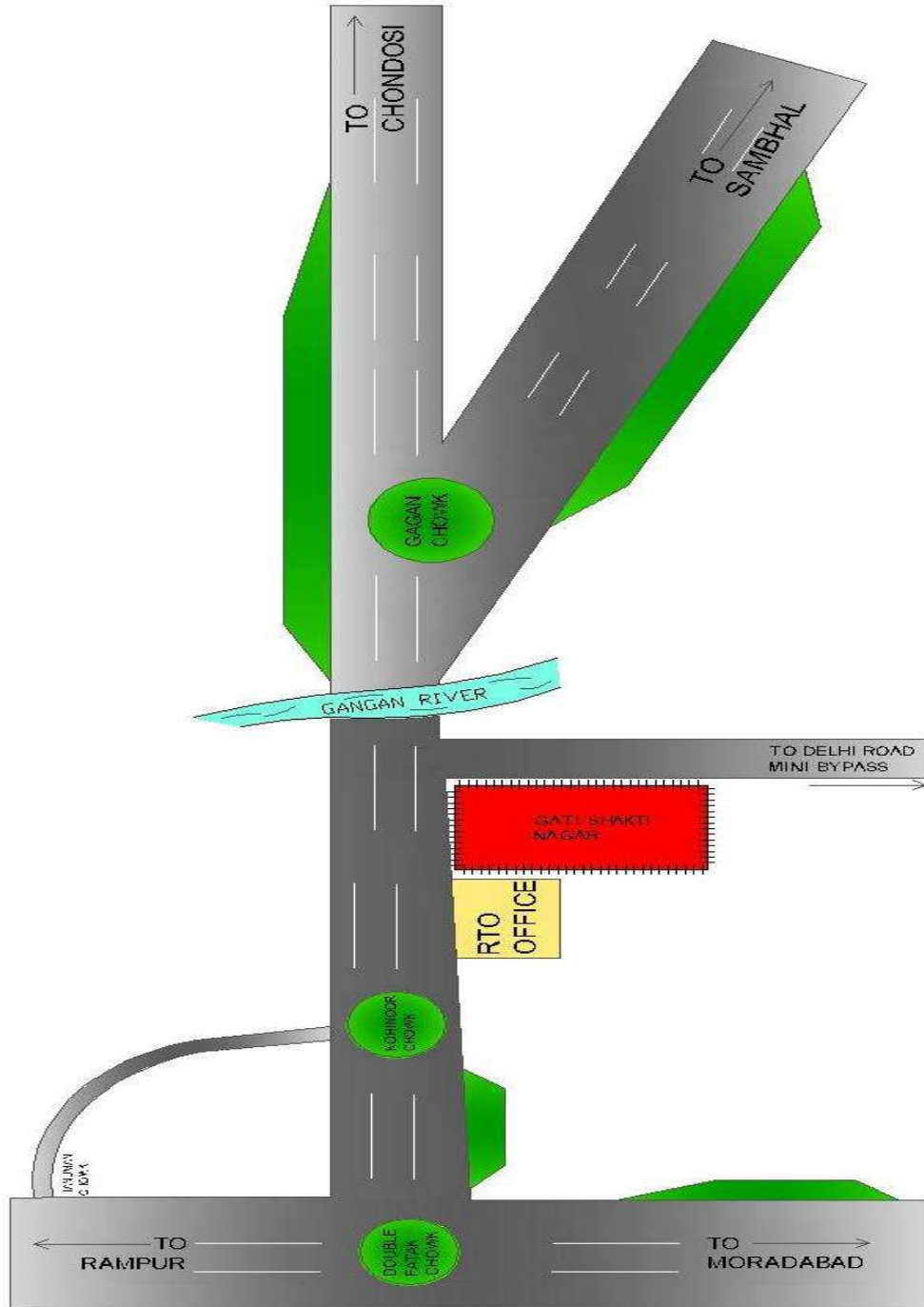
हेल्थ सेंटर / मेडिकल फेसिलिटी	01: 947.47 वर्ग मी०
सर्विस गैराज / मोटर गैराज	01: 1000.00 वर्ग मी०
शोरूम	01: 821.69 वर्ग मी०
ऑफिस बैंक	01: 578.75 वर्ग मी०
गोदाम / ट्रान्सपोर्ट एजेंसी	10: 873.59—887.13 वर्ग मी०
व्यवसायिक भूखण्ड	07: 336—450.00 वर्ग मी०
दुकान भूखण्ड	40: 50.00 वर्ग मी०
ट्रान्सपोर्ट एजेंसी	42: 208.0—486.0 वर्ग मी०
कुल संख्या	103





मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

“गतिशक्ति नगर योजना” पहुंच मार्ग



KEY PLAN



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति "जहां हैं-जैसे हैं" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। ई-नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने तथा ई-नीलामी पोर्टल पर प्राधिकरण का ऑफर प्रदर्शित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली प्राप्त होने अथवा आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवेदक का सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेतागण समय-समय पर किसी भी ऑफर को देखने हेतु उक्त पोर्टल पर लॉगिन करते रहें, जिससे उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी एवं किसी भी शर्त में संशोधन का भी संज्ञान हो सके।
2. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
3. सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली आरक्षित दर **रु0 60,300.00 प्रति वर्गमी0 है, के ऊपर न्यूनतम 1% के अन्तर पर होगी** जो ई-नीलामी प्रक्रिया में स्वतः दिखेगा। अधिकतम सीमा कोई भी हो सकती है।
4. सम्पत्ति की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुये **अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 03 (तीन) मासिक ब्याज रहित किस्तों में** अथवा **MCLR+3.5 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 08 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में** देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 02 (दो) प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
5. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा किया जाता है तो **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी**, जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 780/आठ-1-9/2009 दिनांक 27, फरवरी, 2009. के क्रम में रोड़ शुल्क, पार्क शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र फ्री-होल्ड 12 प्रतिशत, विलेख शुल्क, वाटर-सीवर कनेक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
7. कॉर्नर की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क सम्मिलित कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, इसलिए कॉर्नर शुल्क अतिरिक्त देय नहीं होगा।
8. सम्पत्ति जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय के हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण/रख-रखाव शुल्क जो प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत हैं, देय होगा। वर्तमान में यह दर रु0 6.82 प्रति वर्ग मीटर है तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
 - ❖ रिक्त सम्पत्तियों पर जिनके द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, के प्रकरणों में 25 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क देय होगा। निर्मित भवन/निर्मित भूखण्ड पर यह शुल्क 100 प्रतिशत देय होगा। अनुरक्षण शुल्क की देयता आवंटन पत्र में निर्धारित अन्तिम किश्त की तिथि के अगले दिवस से अरोपित होगा।
9. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10. आवंटित सम्पत्ति पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
 11. सम्पत्ति का कब्जा विक्रय विलेख के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
 12. आवंटित सम्पत्ति पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमत्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी।
 13. आवंटित सम्पत्ति के लिए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही अनुमत्य होंगे।
 14. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो 10 प्रतिशत आवंटन दर पर एवं शेष 90 प्रतिशत तदसमय लागू सर्किल दर पर धनराशि का भुगतान किया जाना होगा, जो आवंटी को मान्य होगा एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
 15. किसी भी ई-नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 16. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तो जमा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 17. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किशतों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
 18. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किशतों के भुगतान की निर्धारित तिथि के पश्चात सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 30 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- इस प्रकार शर्त सं0 17 एवं 18 में वापस की जाने वाली धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
19. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्ते जमा न करने उन्हें डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त करने के उपरान्त प्रस्तर 18 के अनुसार पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये एवं सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि में तदनुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगा।
 20. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
 21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

22. किसी भी सम्पत्ति की ई-नीलामी तभी प्रारम्भ होगी जब न्यूनतम तीन आवेदकों द्वारा आवेदक कर पंजीकरण कराया गया हो।
23. ई-नीलामी हेतु निर्धारित अवधि अथवा नीलामी प्रारम्भ की तिथि एवं समय से पूर्व पंजीकरण धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो, आवेदक नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस हेतु प्राधिकरण का सुझाव है कि पंजीकरण समाप्ति तिथि के कम से कम तीन दिवस पूर्व तक ही पंजीकरण धनराशि का भुगतान कर दिया जाये।
24. ई-नीलामी में असफल आवेदकों द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नीलामी की तिथि से 30 दिवस में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
25. यदि ई-नीलामी प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित समापन समय की समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम पांच मिनट में किसी ई-नीलामीदाता द्वारा विड की जाती है, तो ई-नीलामी का समय 05 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा तथा यह प्रक्रिया नीलामी के पूर्ण होने तक चलती रहेगी।
26. ई-नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण करते ही स्वतः यह मान्य होगा कि आवेदक द्वारा सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा उसे सभी शर्तें मान्य हैं।

सचिव

उपाध्यक्ष



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

आवेदन प्रक्रिया—

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्था ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकरण के ई-नीलामी पोर्टल <https://public.erpupda.com> को अपने कम्प्यूटर के ब्राउजर पर <https://public.erpupda.com> पर टाइप कर क्लिक करेंगे, जिस पर मुख्य पेज प्रदर्शित होगा। मुख्य पेज पर ही ई-नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ट्रेनिंग एवं जानकारी के लिए विवरण को क्लिक करने पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ई-नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों एवं शर्तों इत्यादि को डाउनलोड करके समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदक ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक है, तो सर्वप्रथम विवरण पुस्तिका को पोर्टल से क्रय करके ही पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात ही ई-नीलामी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
2. पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. एवं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जायेगी।

नोट:—

- ❖ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकरण धनराशि के भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे से चालान प्रिंट करते हुए सम्पत्ति के सापेक्ष देय पंजीकरण धनराशि चालान में अंकित खाता संख्या एवं बैंक नाम से भुगतान करना होगा।
 - ❖ यदि आई.सी.आई.सी.आई. पेमेंट गेटवे में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो मोबाइल नम्बर +91-9324953820 पर एवं ई-मेल cmssupport@icicibank.com पर सम्पर्क करें।
 - ❖ प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad.up.gov.in पर स्थित लिंक से भी ई-नीलामी पोर्टल पर जा सकते हैं।
3. ई-नीलामी हेतु पोर्टल <https://public.erpupda.com> से ही नियम एवं शर्तों की पुस्तिका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यू.पी.आई. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात क्रय की जायेगी।
 4. पंजीकरण के समय पंजीकरण धनराशि जमा करने से पूर्व पोर्टल पर आवेदक द्वारा समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा नाम, जन्मतिथि, ई-मेल, फोन नम्बर सही भरेंगे तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवंटन के समय कोई जानकारी/प्रपत्र असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर, आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।
 5. नोट :— किसी भी सहायता हेतु प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कार्य दिवस में मोबाइल संख्या +91-7906598448 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

शपथ पत्र (रु0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
..... आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....
.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत.....हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रु0..... पंजीकरण
धनराशि दिनांक..... को प्राधिकरण खाते में ऑनलाइन जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत
कर रहा/रही हूँ।

2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।

4. मैंने पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है
तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

5. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा
अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार
नहीं होगा।

6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित सम्पत्ति की सभी शर्तों व नियम मान्य है।

7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक सम्पत्ति का विक्रय विलेख/लीज डीड निष्पादित नहीं होने तक
मुझे सम्पत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा।

8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित सम्पत्ति कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के
अन्तर्गत मांगा गया रुपया न जमा करूंगा अथवा सम्पत्ति की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे
द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा सम्पत्ति का आवंटन रद्द करने तथा सम्पत्ति पर पुनः कब्जा कर
लेने का पूरा अधिकार होगा।

9. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में
कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य
हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे
द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई
आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 09 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण
ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

एक सुन्दर शहर—हमारा संकल्प

हम जानते हैं कि आप पर्यावरण के हितैषी हैं

जल अमूल्य है, जल संरक्षण में अपना योगदान दें



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
सेक्टर—13 नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद।

website :- mdamoradabad.up.gov.in

email :- mrdda@nic.in